/38225/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ /**Integrated Regional Office, Chandigarh**

सत्यमेव जयते

F.No.:- 9-PBB381/2022-CHA दिनांक: **February, 2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9,चण्डीगढ़।
(fcf@punjab.gov.in)

विषय: **Diversion of 0.0068 ha of forest land for approach road to Makhan Palace at Village Paswal, P.O. Saidowal Khurd, Tehsil Gurdaspur on Purana Shalla-Chak Sharif road, under forest division and District Gurdaspur, Punjab. (Online proposal No.FP/PB/Approach/147774/2021)-regarding.**

संदर्भ: i. State Government's Online Proposal received on 14.07.2022.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0068** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से **CA** स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि **0.0068** हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iii. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।

iv. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी ।

v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा|

vi. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा|

vii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वाशन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे |

viii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वाशन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |

				Sub Total	**9569.30**
	7th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha.(10 Months)	Man year	1/10 Man yr.	9569.30	9569.30
				Sub Total	**9569.30**
	8th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha.(10 Months)	Man year	1/10 Man yr.	9569.30	9569.30
				Sub Total	**9569.30**
	9th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha.(10 Months)	Man year	1/10 Man yr.	9569.30	9569.30
				Sub Total	**9569.30**
	10th Year Mainenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha.(10 Months)	Man year	1/10 Man yr.	9569.30	9569.30
				Sub Total	**9569.30**
	Total				**519173.00**
	Over head expenses 5%				25958.65
	Enhancement due to wage escalation@20%				103834.60
	G.Toatal				**648966.25**
	or say				**648966.25**
a)	**Cost of Plantation**				
	Cost of Plantation in 1 Hect. Area (1000 Plants)+				**648966.25**
	Cost of plantation for 0.100 ha.				64896.63
	Supervision charges 10%				6489.66
			Total		**71386.29**
	Penal CA				
b)	**Cost of Plantation (Penal CA)**				
	Cost of Plantation in 1 Hect. Area (1000 Plants)+				**648966.25**
	Cost of plantation for 0.0068 x 10 = 0.068ha.				44129.71
	Supervision charges 10%				4412.97
			Total		**48542.68**
c)	**Net present value** of 0.0068 ha as fixed by Govt. for open area diverted @ Rs.957780 per ha.			Rs.	**6512.90**
	Penality of violation 5 years=0.0068/5=0.034				**32564.00**
	Interest 12% per year of violation				3907.60
	interest for 10 year				**39070.00**
		Total Say			**198075.86**
		Or Say			**198076/-**

Divisional Forest Officer,
Gurdaspur Forest Division,
Gurdaspur

Divisional Forest Officer
Gurdaspur Forest Division
Gurdaspur

1	Cost of raising plants for 15% replacement	No.	150.00	20.00	3000.00
2	Reopening of pits 150x0.60x0.06x0.40	1m^3	21.60	66.91	1445.26
3	Refilling of pits with earth in other soil 150x0.60x0.60x0.40	1m^3	21.60	30.82	665.71
4	Loading & unloading of Plants	1NO.	150.00	0.46	69.00
5	Carriage of Plants 170 avg.distance upto 10Km.)	100 No	170.00	205.00	348.50
6	Spreading of plants pits to pits	100 No	150.00	23.00	34.50
7	Replanting to Plants	100 No	150.00	401.00	601.50
8	Spot Irrigation	100 No	150.00	331.00	496.50
9	Weeding & Hoeing twice	100 No	2000.00	401.00	8020.00
10	Hand Watering 5times	100 No	5000.00	331.00	16550.00
11	Rejungle Clearance(2times)	Per Ha.	1.00	2668.00	2668.00
12	pruning to plants 50%	No.	500.00	3.35	1675.00
13	Watichin & Word for every 10 Ha.	Per Ha.	1/10 Man yr.	9569.30	9569.30
14	Repairing of Barbed Wire	L/s			5000.00
15	POL &machinary	L/s			5000.00
1[illegible]	Material and supply	L/s			5000.00
				Sub Total	60143.27
	4th Year Maintenance				
1	Cost of raising plants for 5% replacement	No.	50.00	20.00	1000.00
2	Reopening of pits 50x0.50x0.50x0.40	1m^3	5.00	66.91	334.55
3	Refilling of pits with earth in other soil 50x0.50x0.50x0.30	1m^3	5.00	30.82	154.10
4	Loading & unloading of Plants	1NO.	50.00	0.46	23.00
5	Carriage of Plants 25avg.distance upto 10Km.)	100 No	50.00	205.00	102.50
6	Spreading of plants pits to pits	100 No	50.00	23.00	11.50
7	Replanting to Plants	100 No	50.00	401.00	200.50
8	Spot Irrigation	100 No	50.00	331.00	165.50
9	Weeding & Hoeing twice	100 No	2000.00	401.00	8020.00
10	Hand Watering 4times	100 No	4000.00	331.00	13240.00
11	pruning to plants 30%	100no	300.00	335.00	1005.00
12	Watch & Ward for every 10 Ha.	man year	1/10 Man yr.	9569.30	9569.30
[illegible]	Repairing of Barbed Wire	L/s			5000.00
14	POL &machinary	L/s			5000.00
15	Material and supply	L/s			5000.00
				Sub Total	48825.95
	5th Year Maintenance				
1	Watch & Ward for every 10 Ha.(10 Months)	Man year	1/10 Man yr.	9569.30	9569.30
				Sub Total	9569.30
	6th Year Maintenance				

JARNAIL SINGH
IFS
Divisional Forest Officer
Gurdaspur Forest Division
Gurdaspur

(32)

Diversion of 0.0068 Ha of forest land for approach road to Makhan Palace at Village Paswal, Purana Shalla-Chak Sharif Road, P.O Saidowal Khurd, Tehsil & District Gurdaspur. (CA Scheme)

File No. : ____________________

Date of Proposal : ____________________ **Wage Rate = 368**

Plantation Model For Standard Plantstion Under Compensatory Afforestation Plants Per Hectare: 1000 Nos.

	Name of work	Unit	Qty	Unit Cost(in rs.)	Total Amt
	Nursery				
	Cost of raising plants	No.	1100	20.00	22000.00
A	**Soil Works**				
1	Site/Jungle clearance(25%)	Ha	0.5	6021.75902	3010.88
2	Alignment & Dagbailing	Ha	1	1104.00	1104.00
3	Earth Work-Digging of Pits Digging of pits 1000x0.5mx0.5mx0.4m	$1M^3$	100	113.743415	11374.34
4	Kana Stubbing 25%	Ha	0.25	30113.18	7528.30
	Plantation Work				
1	a) Refilling of pits1000x 0.5mx 0.5mx 0.3m	1M3	75	3082.00	2311.50
2	Loading & unloading of Plants (1000+10% wastage=1100)	1No.	1100	0.46	506.00
3	Carriage of Plants (1000+10% Wastage =1100avg.distance upto 10Km.)	100 No	1100	205.00	2255.00
4	a)Carriage from site to site	100 No	1000	23.00	230.00
5	b)Planting of plants(1000 no include 10% replacement)	100 No	1000	400.00	4000.00
6	Spot Irrigation(1000 Plants)	100 No	1000	331.00	3310.00
7	Application of Insecticide(2times)	100 No	1000	46.00	460.00
8	Application of Fertilizers(2times)	100 No	1000	46.00	460.00
9	Weeding & Hoeing 3 times	100 No	3000	400.59	12017.70
10	Hand Watering(12 time)	100 No	12000	331.00	39720.00
11	Replanting of Plants 10%	No.	100	4.01	401.00
12	Rejungle Clearance(2times)	Per Ha.	1	2668.36	2668.36
13	Covering (25% Plants) of plants	1 No	250	3.32	830.00
14	Uncovering of plants	100 No	250	34.20	85.50
15	restubbing of Kana(1times)	Ha	0.25	12282.00	3070.50
16	Laying out & FIXING OF Barbed Wire	Meter	500	49.14	24570.00
17	Watch & Ward for every 10 Ha.(7months)	Man year	1Man 7months	9569.30	6698.51
18	Material				
	a) Insectiside/Fertilizers	L/s			5000.00
	b)POL	L/s			5000.00
	c)Barbed Wire&fencing	L/s			50000.00
				Sub Total	**208611.59**
	Ist Year Maintenance				

Divisional Forest Officer
Gurdaspur Forest Division
Gurdaspur

225/2023

3.4 उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय

Signed by Raja Ram Singh
Date: 08-02-2023 13:15:13

हस्ता/-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली। (fcdiv-mefcc@gov.in)
2. PCCF (PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Punjab, Forest Complex, Sector-68, SAS Nagar, Mohali, Punjab (pccfpunjab@gmail.com)
3. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Gurdaspur(Punjab).
4. Sh. Sohan Singh, Manager, Makhan Palace, VILLAGE PASWAL, PURANA SHALLA-CHAK SHARIF ROAD, PO SAIDOWAL KHURD, TEHSIL AND DISTRICT GURDASPUR, Punjab. amrits8000@gmail.com).

Divisional Forest Officer
Receipt No. 575
Date 12/6/23
Branch
Gurdaspur Forest Divn.

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल, गुरदासपुर

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:- 1430 ਮਿਤੀ 14/6/2023

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ Sh. Sohan Singh Manager, Makhan palace, village Paswal, Purana Shalla-Chak Sharif Road, PO Saidowal Khurd, Tehsil and distt Gurdaspur, ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [illegible] ਸੀ.ਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 71386/- ਰੁ:-, ਪੀਨਲ ਸੀ.ਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 48542.68/- ਰੁ:-, [illegible] ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 6512.90/- ਅਤੇ ਪੀਨਲ [illegible] ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 71634/- ਰੁ: ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1,98,075.87/- ਰੁ: [illegible] www.parivesh.nic.in ਤੇ [illegible] ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ [illegible] ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ F.R.A certificate ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ [illegible]

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा नही काटा जाएगा |

iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार, degraded वन भूमि **Bholeke minor RD udhowail kalan to ropuvali kalana**, रेंज-अलीवाल, तहसील-फतेहगढ़ चुरियन, जिला-गुरदासपुर में **100** पौधे लगाकर किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा | यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

iv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |

v. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |

vi. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी|

vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

ix. इस प्रस्ताव को **99** वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी |

x. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |

xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xiii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xiv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xvi. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

xvii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।